

UOM-2025/772

प्रपत्र-8

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर.....

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) रामपुरा.....

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चिराना..... व भूअ.नि. चिराना.....

के रिपोर्ट तथा तहसीलदार नवलगढ़ / नायब तहसीलदार नवलगढ़ की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान

व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रामपुरा तहसील नवलगढ़ व जिला सुभद्र

की जमाबन्दी सम्बत् 2075-76 में खाता संख्या 168 में वर्तमान में दर्ज

को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
<u>रामपुरा</u>	<u>168</u>	<u>बल्लाराम मूल</u>	<u>बुलाराम मूल</u>

(W)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर,

दिनांक :-

तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र

या जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।

क्षेत्र पत्रावली।

(W)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर